रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2018, शनिवार/भाद्र 18—भाद्र 24, 1940
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2018, SATURDAY/ BHADRA 18—BHADRA 24, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 1353.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3506(अ), तारीख 18 जुलाई, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप – खण्ड (ii), 18 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" कहा गया है) और ऐसी भूमि, में के या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बाक्स संख्या 60, जिला बिलासपुर-495 006, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकारी कंपनी" कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में के या उस पर के सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 18 जुलाई, 2018 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्:-

(a) require the principal or immediate employer to him such information as he may consider necessary for the purpose of this Act; or

(b) at any reasonable time enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine accounts, books and other documents relating to the employment of personal and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises,

(e) exercise such other powers as may be prescribed.

(6) In case of disinvestment/corporatization, the exemption granted shall become automatically cancelled and then the new entity will have to approach the appropriate Government for exemption.

[No. S-38014/08/2012-S.S.-I]

SANTOSH KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का. आ. 1381.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा—1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय—4 (44 व 45 धारा के सिवास जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय—5 और 6 [धारा—76 की उप धारा—(1) और धारा—77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"केन्द्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी के येनम जिले के राजस्व सीमा के पहले से लागू क्षेत्रों को छोड़कर सभी राजस्व गांव"

[सं. एस—38013/03/2018—एस.एस.I]

संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 1381.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st October, 2018 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Section 77,78,79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the Municipal limits of following areas in the Union Territory of Puducherry namely:-

"ALL THE REVENUE VILLAGES OF YANAM DISTRICT OF UNION TERRITORY OF PUDUCHERRY EXCLUDING THE ALREADY IMPLEMENTED AREAS"

[No. S-38013/03/2018-S.S.I]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का. आ. 1382ए—औघोगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औघोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औघोगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, चण्डीगढ़ के पंचाट (227/2011) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 10.09.2018 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल—12011/45/2011-आई आर (बी-II)]

रवि कुमार, अनुभाग अधिकारी